महत्वपूर्ण / समयबद्ध

पत्र संख्या-एस0एस0-एक(27)संग्रह समीक्षा-2016-17/ 1006 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ : दिनॉक : 06-01- ,2017

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
जोन-गाजियाबाद-प्रथम, लखनऊ-प्रथम/द्वितीय, कानपुर-द्वितीय, आगरा,
इलाहाबाद, इटावा, मुरादाबाद, फैजाबाद व झॉसी।

आपके जोन का माह दिसम्बर-2016 का सूचित राजस्व संग्रह गत वर्ष की संगत अवधि में जमा राजस्व के सापेक्ष कम रहा है तथा मासिक लक्ष्य पूर्ति 75 प्रति0 से कम रही है।

माह दिसम्बर-16 के प्रारम्भ से ही सभी जोन को निर्देशित किया जाता रहा है कि माह नवम्बर-16 में व्यापारियों द्वारा की गई बिक्री के जारी किये गये बिल के सापेक्ष वास्तविक बिक्री प्रकाश में लाई जाये, व्यापारियों पर देय बकाया को जमा कराने हेतु उनके प्रचलित बैंक खातों में जमा धनराशि की सूचना प्राप्त करके खाता सीज करके धनराशि जमा कराई जाये, लगातार तीन देय रिटर्न न देने वाले डीलर्स के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये, रु0 25 लाख वार्षिक ई-संचरण से माल आयात करने वाले व्यापारियों को उनके समकक्ष स्तर के अधिकारी के अधिक्षेत्र में स्थानान्तरित करायें, अवशेष कर निर्धारण वादों को निस्तारित कराकर स्वीकृत लेखा के सापेक्ष देय धनराशि तत्काल जमा करायें तथा जिन बड़ी फर्मों के द्वारा गत वर्ष के सापेक्ष कमी से राजस्व जमा किया जा रहा है, उनके अभिलेखीय जॉच कर निर्धारण अधिकारियों से कराते हुए प्रवर्तन के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करके यथावश्यक प्रवर्तन कार्य कराये जायें।

जोन के राजस्व संग्रह व विभागीय एम0आई0एस0 की समीक्षा से स्पष्ट है कि आपके जोन में उपर्युक्तानुसार समुचित कार्यवाही नहीं की गई है। कृपया इस सम्बन्ध में संख्यात्मक कार्यवाही उल्लिखित **करते हुए गत वर्ष के सापेक्ष कम राजस्व जमा होने पर दि0 11-01-2017 तक स्थिति स्पष्ट करें।**

अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्तानसार निर्देशित माह दिसम्बर-16 में योजित / प्रचलित की गई कार्यवाही के अवशेष कार्य माह जनवरी-17 में पूर्ण कराते हुए परिणामपरक् राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करायें, धारा-31/32 के प्रार्थना पत्र में अवरुद्ध बकाया समाप्त कराकर वसूली करायें, अवशेष कर निर्धारण वादों को दि0 31-01-17 तक शत-प्रतिशत निस्तारित करायें, ईंट भट्ठा व्यापारियों से सम्पर्क कर शत-प्रतिशत समाधान में लायें, ताकि माह जनवरी-17 का राजस्व संग्रह लक्ष्य पूर्ण हो सके।

6/01/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।